संख्या- 269 /सत्तर-1-2018-16(..)/2017

प्रेषक

[illegible] मा. ... शिक्षा परिषद, लखनऊ
संख्या 163 ...
25-7-17 ...

संजय अग्रवाल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव,
   समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
   उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक,
   उच्च शिक्षा विभाग,
   उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 25 जुलाई, 2018

विषय - उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावली में शिक्षकों के लिये विशेष अवकाश का प्राविधान किये जाने तथा असाधारण अवकाश के प्राविधान में आंशिक संशोधन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा "विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति के लिये निर्धारित अर्हता सम्बन्धी नियमन तथा उच्च शिक्षा के अन्तर्गत मानकों के व्यवस्थापन के लिये आवश्यक उपायों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नियमन, 2010" के प्राविधानों को लागू करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-377/सत्तर-1-2013-16(114)/2010 दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों के प्रथम परिनियमों का प्रख्यापन किया गया है। उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 द्वारा निर्गत राज्य विश्वविद्यालयों के परिनियमों के अन्तर्गत शिक्षकों को अनुमन्य अवकाश का उल्लेख परिनियम संख्या-15.14 में है।

2- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में आवश्यक संशोधन के लिये सुझाव देने हेतु कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-6-2017 द्वारा विधिक परामर्शदाता, माननीय राज्यपाल/कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया तथा उक्त समिति को पत्र दिनांक 05-10-2017 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों के परिनियमों में संशोधन पर विचार करने हेतु भी अधिकृत किया गया। समिति द्वारा शिक्षकों के लिये विशेष अवकाश का प्राविधान किये जाने तथा असाधारण अवकाश के प्राविधान में आंशिक संशोधन करने की संस्तुति की गयी।

3 समिति की संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त भारत का संविधान के अन्तर्गत स्थापित संघीय अथवा राज्य विधान मण्डल के सदस्यगण तथा संघ या राज्य सरकार द्वारा कला/विज्ञान /साहित्यिक/सांस्कृतिक/खेल आदि संगठनों/शैक्षिक संस्थानों/आयोगों में निर्धारित राष्ट्रीय महत्व के पदों पर नियुक्त शिक्षकों को अधिकतम 05 वर्ष का 'विशेष अवकाश' अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है, जो निम्नांकित शर्तों के अधीन देय होगा:

विशेष अवकाश

(1) किसी भी स्थायी शिक्षक को निम्नलिखित स्थिति में विशेष अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है -
   (क) जब कोई अन्य अवकाश अनुमन्य न हो, अथवा
   (ख) शिक्षक द्वारा विशेष अवकाश के लिए आवेदन किया जाय।

(2) विशेष अवकाश सहित वेतन एवं भत्ते रहित होगा।

(3) विशेष अवकाश की अवधि में वेतन वृद्धियां, जो नियमित कार्य करने पर देय होती, अनुमन्य होंगी।

(4) विशेष अवकाश की अवधि में पारस्परिक ज्येष्ठता प्रभावित नहीं होगी।

अवकाश हेतु आवेदन करने की तिथि के 15 दिन के अंदर कुलपति द्वारा आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा अन्यथा विशेष अवकाश स्वीकृत माना जायेगा। कुलपति के निर्णय के विरूद्ध कोई शिक्षक कुलपति का आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर कार्यपरिषद् में अपील कर सकेगा। कुलपति द्वारा 30 दिन के अंदर अपने निर्णय को कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के सम्बद्ध/सहयुक्त/घटक/स्वायत्तशासी महाविद्यालयों तथा स्थाई शिक्षकों तथा विश्वविद्यालय परिसर के स्थाई शिक्षकों को ही विशेष अवकाश अनुमन्य होगा।

विशेष अवकाश परिनियम संख्या-15.28 के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों में सम्मिलित किया जायेगा तथा परिनियम संख्या-15.14 में उल्लिखित अवकाश की श्रेणियों में (11) पर 'विशेष अवकाश' का उल्लेख किया जायेगा।

5. उक्त के अतिरिक्त परिनियम संख्या-15.19 में उल्लिखित 'असाधारण अवकाश' के प्राविधान में आंशिक संशोधन किये जाने का भी निर्णय लिया गया है, जिसके फलस्वरूप अधिकतम 05 वर्ष के असाधारण अवकाश को आकस्मिक अवकाश तथा विशेष आकस्मिक अवकाश को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़कर निरन्तर 05 वर्ष तक लिया जा सकेगा।

6. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-50 की उपधारा-6 में राज्य सरकार को प्राप्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये उक्त शासनादेश के अनुसार आवश्याक संशोधन समस्त राज्य विश्वविद्यालयों की परिनियमावली में किये जाने तथा 15 दिन के अंदर शासन को अनुपालन आख्या प्रेषित करने के निर्देश शासनादेश संख्या-33/सतर-1-2018-16(35)/2017 टी0सी0 2 दिनांक 28 फरवरी, 2018 द्वारा निर्गत किये गये थे किन्तु उक्त निर्देशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही की आख्या किसी विश्वविद्यालय द्वारा शासन को प्रेषित नहीं की गयी है।

7. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-50 की उपधारा-6 में राज्य सरकार को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावली में शिक्षकों के लिये विशेष अवकाश का प्राविधान किये जाने तथा असाधारण अवकाश के प्राविधान में आंशिक संशोधन किये जाने विषयक उक्त शासनादेश को समस्त राज्य विश्वविद्यालयों की परिनियमावली में सम्मिलित किये जाने के आदेश माननीय राज्यपाल एतदद्वारा प्रदान करते हैं।

भवदीय,

(संजय अग्रवाल)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-269(1)/सतर-1-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश।
(2) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) वित्त अधिकारी, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(4) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।
(5) अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
(6) गार्ड बुक।

आज्ञा से

(मधु जोशी)
विशेष सचिव